रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

9 AUG 19

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 175] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 9, 1974/आषाढ़ 18, 1896

No. 175] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 9, 1974/ASADHA 18, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 9th July 1974

G.S.R. 306(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 165/72-Central Excise, dated the 9th July, 1972, namely:—

In the said notification, for the figures, letters and word "9th July, 1974", the figures, letters and word "9th October, 1974" shall be substituted.

[No. 115/74-CE]

N. OBHRAI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1974

सा०का०नि० 306 (अ):—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 165/72 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 9 जुलाई, 1972 में एतद्-द्वारा निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में अंक, अक्षर और शब्द "9 जुलाई, 1974" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "9 अक्तूबर, 1974" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 115/74—के०उ०शु०]

एन० ओबराय अवर सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1974